न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 53/2021
अनवान : –

1. लीलाधर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. कमला पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. नारायणी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. सरोज पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. दयाराम पुत्र जीवनसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. बोगी पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
7. राजकोरी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8. राधाकृष्ण पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
9. सुनीता पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
10. सुरती देवी पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
11.
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
13. पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 08/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 161/20 के ख0न0 39 की 2.909 हैक्ट, ख0न0 54 की 3.795 हैक्ट कुल 6.7040 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। गैरसायलान अजनबी केतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते है एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 161/20 की कुल 6.7040 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के विशेष हिस्से का बेचान न करे एवं सींव डोल मिस्मार नही करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि उभयपक्ष के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि बाबत प्रकरण संख्या 458/2017 अनवानी सरोजदेवी बनाम राधाकृष्ण आदि खाता विभाजन का वाद है जिसका निर्णय व प्राथमिक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

डिक्री दिनांक 29.05.2018 को पारित हो चुका है तथा उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री की अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के जैरकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाकर यह स्थगन हासिल किया गया है जो की न चलने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 161/20 की कुल 6.7040 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी स0 4 का कथन है कि उक्त वाद भूमि बाबत प्रकरण संख्या 458/2017 अनवानी सरोजदेवी बनाम राधाकृष्ण आदि खाता विभाजन का वाद है जिसका निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2018 को पारित हो चुका है तथा उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री की अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के जैरकार है लेकिन माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के प्रस्तुत अपील के संबंध में कोई दस्तोवेज पेश नही किया गया है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी लेकिन विशेष हिस्से का बेचना करने से प्रार्थी को भी अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः विशेष हिस्से के बेचान न करने हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 161/20 की कुल 6.7040 हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष विशेष हिस्से का बेचान करने से निषिद्ध रहे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/07/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर